न्यायालय मुंसिफ, बलिया

T.S- 12/18

04/09/19 वादी की ओर से हाजरी है। विद्वान अधिवक्ता पुकार पर उपस्थित है। प्रतिवादी के ओर से कोई पैरवी नहीं है परंतु उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सिन्हा कोर्ट में उपस्थित है। प्रतिवादी की ओर से कोई समय आवेदन नहीं है अतः प्रतिवादी को दिनांक– 07/08/2019 के आवेदन पर प्रतिउत्तर से वंचित किया जाता है। उभयपक्षों को दिनांक– 07/08/2019 के आवेदन पर सुना, अभिलेख को आदेश हेतु रखा जाता है।

आदेश

वादी का आवेदन दिनांक– 07/08/2019 यह है कि वादी ने यह मुकदमा विवादित जमीन पर दाखिल पाने के उद्देश्य से किया है जो कि Sch.- II में अंकित है जो कि वादी प्रतिवादी के निर्मित संरचना को Sch.- II में वर्णित भूमि पर से हटाना चाहता है। वादी को यह भी आशंका है कि प्रतिवादी उन्हें Sch - III के जमीन से भी बेदखल कर देंगे। अतः वादी यह चाहते हैं कि प्रतिवादी को रोकने के उद्देश्य से जो कि आवेदन आदेश 39 नियम– 01 और 02, धारा– 151 सी.पी.सी के अंतर्गत दिनांक– 28/06/2018 को दाखिल किया गया है, जो कि वाद पत्र के साथ ही है। पर कोई भी बात स्पष्ट करने हेतु सरजमीन पर अधिवक्ता आयुक्त का जाना अनिवार्य है जो कि यह स्थिति स्पष्ट करें कि अभी विवादित जमीन Sch.- III पर क्या संरचना है, उसकी क्या स्थितियां हैं, उसकी क्या चौहदी है।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन उपरांत अगर वादी विवादित जमीन Sch.- III पर अधिवक्ता आयुक्त पहले जाकर इसकी स्थिति को कोर्ट के सामने लाना चाहते हैं तो यह वादी का यह काम साक्ष्य इकट्ठा करने के दृष्टि से नहीं होगा, अभिलेख पर वास्तविक स्थिति लाने के दिशा में कम है। अतः अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति का यह आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा अधिवक्ता आयुक्त को यह निर्देश दिया जाता है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर आप अपने रिपोर्ट देंगे।

(1.) क्या Sch.- III जमीन एक एडमिटेड दिया, दोनों पक्षों के द्वारा कैवाला किया हुआ, विवादित क्षेत्र में यानी उसकी पहचान पर दोनों पक्षों में एक रूपता है।

(2.) Sch.- III जमीन पर क्या संरचना है।

(3.) Sch.- III जमीन पर के चारों तरफ क्या चौहदी है तथा अन्य कोई भी जानकारी उस जमीन के विषय में अगर मौके पर पता चलता है तो अपने रिपोर्ट में देवे।

कोर्ट में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ब्रजेश कुमार को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है। वादी को निर्देशित किया जाता है कि 2,000 (दो हजार रूपया) अधिवक्ता आयुक्त के खर्चा के रूप में जमा करें। वाद दिनांक– 03/10/2019 अग्रिम कार्रवाई हेतु।

लेखापित

मुंसिफ